

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1589-HARDAYAL TECHNICAL CAMPUS,24 MILE STONE ,AGRA DELHI ROAD ,FARAH, MATHURA			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश

- प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (30प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
 - ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
 - ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
 - ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
 - ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 30प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
 - ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
 - ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
 - ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
 - ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
 - ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
 - ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
 - ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
 - ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, HARDAYAL TECHNICAL CAMPUS, 24 MILE STONE ,AGRA DELHI ROAD
,FARAH, MATHURA



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद,
जयपुर प्रदेश सचयलय।**

संख्या- प्रतिष्ठित/परिषद सम्बद्धता/2020/547।

तारखतक: दिनांक: 15-8-2020

--कार्यालय द्वारा--

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कर्मचारी कार्यालय लोक इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा संश्लिष्ट सत्र 2020-21 हेतु विभिन्न तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने को उपरोक्त प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, जयपुर संयोजक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिल प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, जयपुर संयोजक की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संचालन हुई। बैठक में सहिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संश्लिष्ट संस्थाओं को सम्बद्धता विचार/पाठ्यक्रम/प्रवेश समता सुद्धि सहित अन्य बातें पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

उपरोक्त के अनुसार नई सम्बद्धता सहिति की बैठक के क्र-15 में विभिन्न इन इन्डिया पाठ्यक्रम संश्लिष्ट करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण सजा गया। सम्बद्धता सहिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विचार-विमर्श का निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की संस्थाएं निम्नलिखित द्वारा सत्र 2020-21 हेतु संस्था में संश्लिष्ट पूर्व पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त पाठ्यक्रमों की प्रवेश समता में बदोल्दी किये जाने का अनुमोदन किया गया है, जो सत्र-2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में सहिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु एआईटीसीटीआई/टीआईटीआई द्वारा प्रदात अनुमोदन पर के अनुसार नई परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को आइए सम्बद्धता सहिति की बैठक में जिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुसार नई निम्न संस्था को प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, जयपुर संयोजक द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों में अंतिम पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अखिल प्रदेश समता हेतु सम्बद्धता विचार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एआईटीसीटीआई/टीआईटीआई /सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश समता	एआईटीसीटीआई/टीआईटीआई /सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता
1	1588	इन्दरदास टिन्डिकल संस्था, 34 नमून लीन, जयपुर दिल्ली रोड, जयपुर, जयपुर।	विभिन्न इन्डिया कैम्पेसल इन्डिया।	40	80
				40	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईटीसीटीआई/टीआईटीआई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था जयपुर प्रदेश प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य विनियम विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण सहिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्डिया पाठ्यक्रमों हेतु रु 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कर्मचारी पाठ्यक्रम हेतु रु-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक लघु दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कर्मचारी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में सहाय-समर्थ पर सहाय प्राप्त निर्णय किये जाने वाले शासनदेश प्रयागी होंगे, और उपरोक्त कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जोस निर्धारण सहिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (जयपुर प्रतिष्ठित शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाने) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एआईटीसीटीआई/टीआईटीआई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

**कार्यालय,
समिप, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

समिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

सम्बन्धक दिनांक: 15-5-2019

:-कार्यालय ज्ञाप:-

विगत भारतीय उप-द्वीप शिक्षा परिषद द्वारा सन्धि सत्र 2019-20 हेतु विन्तोषा स्तरीय एकलौडी प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित प्रस्तावों को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बन्धित प्रस्तावों का सम्बद्धता-विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश प्रदान करने हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के नद-2 में विन्तोषा इन इन्जीन पाठ्यक्रम संशोधित प्रस्तावों से सम्बद्धता प्रदान का प्रश्न उठा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया।

संलग्नक-1 में अधिस्ता तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित विन्तोषा स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सार्वसम्यति से संलग्नक-1 में अधिस्ता विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथापस्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार/प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

उक्त विन्तोषा प्रस्तावों सम्बन्धी सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता समिति, द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार, परिसर प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु विन्तोषिता शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश प्रदान होगा हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एकलौडी/द्विलौडी/तीनलौडी/चौदलौडी/पाँचलौडी/छेदलौडी/सातलौडी/आठलौडी/नौलौडी/दसलौडी/ग्यारहलौडी/बारहलौडी/तेरलौडी/चौदलौडी/पंद्रहलौडी/सोलहलौडी/सत्रलौडी/अन्य	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश प्रदान
1000	हरद्वार-1	द्विस्तरीय	60	60
	हरद्वार-2	द्विस्तरीय	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ सत्र 2019-20 के लिए सम्बद्धता प्रदान की जायेगी।
- ✓ सत्र 2019-20 के लिए सम्बद्धता प्रदान करने के लिए सम्बद्धता समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन अर्थों में विभाजित किया जायेगा। अर्थात् (1) प्रथम अर्थ, (2) द्वितीय अर्थ, (3) तृतीय अर्थ।
- ✓ प्रथम अर्थ: प्रथम अर्थ का अनुमान करीब 30,000.00/- (तीस हजार) के बराबर होगा।
- ✓ द्वितीय अर्थ: द्वितीय अर्थ का अनुमान करीब 22,500.00 (दस हजार) के बराबर होगा।
- ✓ तृतीय अर्थ: तृतीय अर्थ का अनुमान करीब 67,500.00 (सत्र हजार) के बराबर होगा।
- ✓ सत्र 2019-20 के लिए सम्बद्धता प्रदान करने के लिए सम्बद्धता समिति द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ सत्र 2019-20 के लिए सम्बद्धता प्रदान करने के लिए सम्बद्धता समिति द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना होगा।